न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 109/2026
परिवाद वाद संख्या– 281सी/2024

सैयाद उर्फ सियाद उर्फ सय्यद.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

12-03-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक/अभियुक्त सैयाद उर्फ सियाद उर्फ सय्यद की ओर से परिवाद वाद संख्या– 281सी/2024, अंतर्गत धारा 498(A) भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 03.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 मंजर हसन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद परिवादिनी लाडली खातून के अनुसार यह है कि उसकी शादी 09 दिसंबर 2018 को अभियुक्त सैयाद के साथ हुई थी। शादी में परिवादिनी के माता–पिता द्वारा दहेज में करीब तीन लाख रूपया का घरेलू सामान एवं मवेशी एवं एक लाख रूपया मोटरसाईकिल के लिए दिया गया था। अभियुक्तगण पुनः परिवादिनी को दहेज के लिए गाली–गलौज करके मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 15 अगस्त 2023 को अभियुक्तगण परिवादिनी को गर्भवती अवस्था में मारपीट कर तीनों बच्चों सहित घर से भगा दिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक परिवाद वाद सं0–2243सी/17 का अभियुक्त है, इसके अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक परिवादिनी का पति है। आवेदक को पारिवारिक विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक अपनी पत्नी को पूर्ण गरिमा एवं सम्मान के साथ रखने को तैयार हैं। आवेदक दिनांक 03.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी के ससुर ने स्वेच्छया इस बात की अंडरटेकिंग दिया है कि वह अपने बहू के बच्चों को अपने बेटे की हिस्से की जमीन दे देगा तथा वह अपनी बहू को अपने परिवार के साथ रखेगा भी। आवेदक अभियुक्त एक महीने से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में भी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि पूरे विचारण तक सदेह उपस्थित रहेगा एवं कम से कम एक जमानतदार अभियुक्त का पिता होगा। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।